बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010–विविध–02 / 2020– 1507 / खाद्य,पटना / दिनांक 28/03/2020

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक
बिहार।

विषय :– कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन की स्थिति में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के वाहनों का परिवहन निर्बाध रूप से कराने के संबंध में ।

प्रसंग :– स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–115(HS) दिनांक–22.03.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण पूरे बिहार राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रासंगिक आदेश की कंडिका–3 एवं 4 में पेट्रोल पम्प एवं सी0एन0जी0 स्टेशन, एल0पी0जी0 गैस एजेन्सी को मालवाहक वाहन के परिचालन को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है। तेल कंपनियों के पेट्रोलियम उत्पाद यथा– RPC, Sulpher, Bitumen, Lubricants, DEF (Diesel Exhaust Fluid), FO (Furnace Oil) and LDO (Light Diesel Oil) के उत्पादन हेतु संबंधित वाहनों का परिचालन लॉकडाउन अवधि में भी किया जाना आवश्यक है, ताकि पेट्रोल, डीजल तथा एल0पी0जी0 का उत्पादन हो सके एवं उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सके।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित वाहनों का परिचालन लॉकडाउन अवधि में भी कराया जाय।

विश्वासभाजन,
28/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र010–विविध–02 / 2020– 1507 / खाद्य,पटना / दिनांक 28/03/2020
प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / राज्य स्तरीय समन्वयक, सरकारी तेल कंपनी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र010–विविध–02 / 2020– 1507 / खाद्य,पटना / दिनांक 28/03/2020
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

D:\Y-2019 YEAR -\SECTION - (06)\Vividh_Avinash.doc

Scanned by CamScanner